भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *49

उत्तर देने की तारीख: 03.12.2025

अल्पसंख्यकों का शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक उत्थान

*49. श्री तारिक अनवर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटिहार जिले में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी की उच्च दर और आर्थिक असुरक्षा विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कटिहार में अल्पसंख्यक छात्रों को 'पढ़ो परदेस' जैसी योजनाओं का लाभ देने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) कटिहार के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या ठोस योजनाएं हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

******

'अल्पसंख्यकों का शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक उत्थान' के संबंध में श्री तारिक अनवर द्वारा पूछे गए दिनांक 03.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *49 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): मंत्रालय में अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य शैक्षिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी दर और आर्थिक असुरक्षा संबंधी कोई विशिष्ट डेटा नहीं रखा जाता है। इसलिए कटिहार जिले से संबंधित कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपनी विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से, भारत में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में काम करता है।

(ग) और (घ): पढ़ो परदेश (ब्याज सब्सिडी योजना) को वर्ष 2021-22 के बाद कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) जोकि मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 30 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाता है।

(ङ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू करता है। यह योजना निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर केंद्रित हैः

i. कौशल और प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक): पीएम विकास, अल्पसंख्यकों के बीच रोजगार उन्मुख कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह योजना पारंपरिक शिल्प के साथ आईटी-आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक, उच्च विकास वाले क्षेत्रों और अन्य उभरते कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करती है।

ii. महिला नेतृत्व और उद्यमिताः पीएम विकास का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, सामुदायिक नेतृत्व और आजीविका वृद्धि में प्रशिक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम महिलाओं को आवश्यक उद्यमशीलता संबंधी दक्षताओं और ऋण तथा बाजार के अवसरों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी और अधिक सुदृढ़ होती है।

इसके अलावा, एनएमडीएफसी की सावधि ऋण योजना के तहत, निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से साध्य किसी भी उद्यम के लिए सहायता उपलब्ध हैः

(क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र; (ख) तकनीकी व्यापार; (ग) लघु व्यवसाय; (घ) कारीगरी और पारंपरिक व्यवसाय; (ङ) परिवहन और सेवा क्षेत्र।

******